

विभागवार जिले से वीडियो कांफ्रेंसिंग की समय सारिणी वर्ष 2019

क्र	विभाग का नाम	माहवार वीडियो कांफ्रेंसिंग की तिथि (दर्शाये अनुसार प्रति दिन दोपहर 2 बजे से)											
		जनवरी 19	फरवरी 19	मार्च 19	अप्रैल 19	मई 19	जून 19	जुलाई 19	अगस्त 19	सितम्बर 19	अक्टूबर 19	नवम्बर 19	दिसम्बर 19
1	सामान्य प्रशासन विभाग एवं जन शिकायत निवारण	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2
2	परिवहन (दोपहर 2 से 2.45), जेल (दोपहर 2.45 से 3.30), गृह विभाग	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	2	3
3	पुलिस (दोपहर 3.30 से 5.00 तक)	3	4	5	3	3	4	3	3	5	4	4	4
4	राजस्व एवं पुनर्वास विभाग	4	5	6	4	4	4	5	6	6	5	5	5
5	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग	5	6	7	5	6	7	6	7	7	9	6	6
6	वन विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7	7	8	6	7	10	6	7	9	10	7	7
7	वित्त एवं वाणिज्यिक कर	8	8	11	8	8	11	8	8	11	11	8	9
8	वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग	9	11	12	9	9	12	9	9	12	14	11	10
9	खनिज संधन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	10	12	13	10	10	13	10	13	13	15	13	11
10	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	11	13	14	11	13	14	11	14	16	16	14	12
11	जल ससाधन एवं आयाकट विभाग	14	14	15	12	14	15	12	16	17	17	15	13
12	कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग एवं ग्रामोद्योग विभाग	15	15	18	15	15	18	15	19	18	18	18	16
13	ऊर्जा विभाग	16	18	19	16	16	19	16	20	19	21	19	17
14	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	17	19	20	18	17	20	17	21	20	22	20	19
15	नगरीय विकास विभाग (दोपहर 2 से 3.00 तक), आवास पर्यावरण एवं पर्यावरण (दोपहर 4 से 5 तक)	18	20	22	22	20	21	18	22	23	23	21	20
16	लोक निर्माण विभाग	21	21	23	23	21	22	19	23	24	24	22	23
17	उच्च शिक्षा, (दोपहर 2 से 3.00 तक), तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन (दोपहर 3 से 5.00 तक)	22	22	25	24	22	23	22	26	25	25	23	24
18	स्कूल शिक्षा विभाग (दोपहर 2 से 4 तक) जनसम्पर्क विभाग (दोपहर 4 से 5 तक)	23	23	26	25	23	25	23	27	26	26	25	26
19	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	24	25	27	26	24	26	24	28	27	29	26	27
20	समाज कल्याण (दोपहर 2 से 4 तक) एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग (दोपहर 4 से 5 तक)	25	26	28	27	25	27	25	29	28	30	27	28
21	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग	28	27	29	29	27	28	26	30	30	31	28	30
22	महिला एवं बाल विकास विभाग	29	28	30	30	28	29	27	31			29	31
	सहकारिता विभाग (दोपहर 2 से 4) एवं श्रम विभाग (दोपहर 4 से 5)												

(मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)

अधिकारी
मुख्य सचिव
राजस्थान शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
मन्त्रालय, नया रायपुर